-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 01.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली नगर पुलिस व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा अधिकारियों के नाम से फर्जी फेसबुक एकाउंट बनाकर रुपएं की मांग करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे अधिकारियों के नाम की फर्जी फेसबुक आइडी बनाकर रुपयों की मांग करने वाले अभियुक्त को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब हो कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अधिकारियों की फेक फेसबुक आइडी बनाकर रुपयों की मांग की जा रही थी, जिसके सम्बन्धि में अपर सूचना अधिकारी बांदा सुश्री शारदा द्वारा थाना कोतवाली नगर में सूचना दी गई। सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए कोतवाली नगर ,साइबर , सर्विलांस सेल एवं तकनीकी टीम द्वारा डिजिटल साक्ष्यों, सोशल मीडिया गतिविधियों और अन्य तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपी की पहचान की गई। जांच के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मबई बाईपास बांदा से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ मे अभियुक्त द्वारा अपना जुर्म स्वीकारा करते हुए बताया कि वह राजस्थान का रहने वाला है व उसने अधिकारियों के नाम की फेसबुक पर फर्जी आइडी बनाकर रुपए मागें है व रुपए लेने ही जनपद बांदा आया है। अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया।

अपील- सोशल मीडिया पर किसी अधिकारी, जनप्रतिनिधि अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम से संचालित फर्जी ID/प्रोफाइल से प्राप्त Friend Request, Message, Link या आर्थिक सहायता संबंधी अनुरोध पर बिना सत्यापन के विश्वास न करें। किसी भी संदिग्ध सोशल मीडिया प्रोफाइल की पहचान एवं सत्यापन अवश्य करें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें और OTP, पासवर्ड अथवा बैंकिंग संबंधी जानकारी साझा न करें ।किसी अधिकारी के नाम से पैसे अथवा किसी अन्य प्रकार की सहायता मांगे जाने पर संबंधित विभाग से आधिकारिक माध्यम से पुष्टि करें। फर्जी ID अथवा संदिग्ध साइबर गतिविधि दिखाई देने पर उसका Screenshot/URL सुरक्षित रखें और तत्काल पुलिस अथवा साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें। सोशल मीडिया पर अपनी निजी एवं वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करने से बचें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें—साइबर अपराधियों से सावधान रहें।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुस्ताक पुत्र बसीर निवासी ग्राम मानकी सादिकावास थाना रामगढ़ जनपद अलवर (राजस्थान)।

पजीकृत अभियोग-

➢ मु0अ0सं0- 430/26 धारा 319(2)/318(4) व 66सी/66डी आईटी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. निरीक्षक श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली नगर
2. कां0 जितेन्द्र सिंह थाना कोतवाली नगर
3. कां0 अभिनव यादव थाना कोतवाली नगर
4. हे0कां0 आशीष शर्मा सर्विलांस सेल
5. कां0 मनीष मिश्रा सर्विलांस सेल